प्रारुप -छ

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ

पत्रांकः यू0आई0डी0:2018/51359/एल0के0ओं0/लखनऊ/3314/जे0डी0 दिनॉकःअक्टूबर, 05 ,2018

अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र ((Fire & Life Safety Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 ,लखनऊ,की संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स कहलों सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम-- बरौली, उतरेठिया, रायबरेली रोड लखनऊ द्वारा सेक्टर-18,वृदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में विकसित की गयी आवासीय योजना परिसर जिसमें आवासीय व व्यवसायिक प्लाट प्राविधानित है, परिसर का अधिभोग आवासीय/व्यवसायिक श्रेणी के अर्न्तगत किया गया है । इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानको के अनुसार परिसर में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है जिसका निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0,लखनऊ द्वारा दिनॉक 03.10.2018 को मेसर्स कहलों सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम-बरौली,उतरेठिया,रायबरेली रोड लखनऊ के सचिव, श्री गुरुबचन सिंह के साथ किया गया तथा परिसर में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानक के अनुसार यथास्थिति में पाया गया ।

अतः प्रश्नगत परिसर को अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) एन0 बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी आवासीय/व्यवसायिक श्रेणी के अर्न्तगत वैद्यता तिथि .... 05../..10./......2018 से .04./..10./..2021.. तक 03 वर्ष के लिए इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि परिसर में सभी मानको का अनुपालन किया जायेगा तथा परिसर के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व परिसर में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आप की होगी।

संलग्नकःअग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0 की निरीक्षण आख्या

(विजय कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि

01- अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ ,को सूचनार्थ प्रेशित ।

02- सचिव, मेसर्स कहलों सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम-बरौली,उतरेठिया,रायबरेली रोड लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

लखनऊ,

महोदय,

कृपया सचिव,कहलों सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम-बरौली,उतरेठिया,रायबरेली रोड लखनऊ के पत्र दिनॉक 12.09.2018 पर आप के पृष्ठांकन आदेश के अनुपालन में सेक्टर-18,वृदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में विकसित की गयी आवासीय योजना परिसर का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से निरीक्षण/ परीक्षण आप के कार्यालय के पत्रांकःयू0आई0डी0 संख्याः 2018 / 51046 /एल0के0ओ0/लखनऊ/3297/जे0डी0 दिनॉक 07.09. 2018 के द्वारा निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

विकसित की गई आवासीय परिसर का विवरण :

01- कुल भूखण्ड एरिया 25400.58 वर्ग मीटर है ।

02- आवासीय प्लाटिंग का कुल एरिया-13852.11 वर्ग मीटर है ।

03- व्यवसायिक प्लाटों का कुल एरिया 1270.11 वर्ग मीटर है ।

04- परिसर में आवासीय प्लाटों की न्यूनतम एरिया 40.00 वर्ग मीटर व अधिकतम् एरिया 187.31 वर्ग मीटर है ।

ढांचागत व्यवस्थाः-

01- **पहुँच मार्गः-** प्रश्नगत परिसर तक पहुँच मार्ग की चौडाई 30 मीटर है तथा परिसर के अन्दर रोड की चौडाई 09 मीटर है ।

02- **प्रवेश/निकास मार्ग** :-प्रश्नगत परिसर में 03 प्रवेश व निकस द्वार बने है जिसकी चौडाई 4.50-4.50 मीटर है।

उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :-

01- **भूमिगत टैंक** :-प्रश्नगत भवन परिसर में 100 के0एल0 पानी के क्षमता का भूमिगत टैंक उपलब्ध पाया गया ।

02- **पम्प :-** भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प व समकक्ष क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एल.पी.एम. क्षमता का जॉकी पम्प अधिष्ठापित व निरीक्षण के समय कार्यशील दशा मे पाया गया ।

03- सम्पूर्ण परिसर में 45-45 मीटर की दूरी पर फायर हाईड्रेंट एन.बी.सी.-2016 के अनुसार अधिष्ठापित किया गया है तथा पास में ही होज बाक्स बना कर उसमें 15-15 मीटर लम्बाई के 02 अदद होजपाईप व एक अदद ब्राच पाईप का रखा गया है, जो निरीक्षण के समय कार्यशील दशा मे उपलब्ध पाया गया ।

04- प्रश्नगत व्यवसायिक प्लाटों के निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व प्राथमिक अग्निशमन उपकरण आई.एस. -2190-2010 के मानकों के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य होगा ।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर मेसर्स कहलों सहकारी आवास समिति लि0 लखनऊ द्वारा सेक्टर -18,वृदावन योजना रायबरेली रोड,लखनऊ में विकसित आवासीय योजना में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति निम्न शर्तो के अधीन की जाती हैः-

01- परिसर में अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा जो परिसर में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के रख रखाव एवं आवश्यकता पडने पर उनके संचालन एवं उपयोग के प्रति जिम्मेदार होगा

02- परिसर प्रबंधक को निर्देशित किया जाय कि परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मेन्टीनेन्सी सेड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाए ,भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली का दैनिक ,साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्शिक,वार्षिक मेंन्टीनेंस किया जाय तथा अलग-अलग रजिस्टर बनाकर उसमें अंकित कर रिकार्ड रखा जाय ।

03- किसी प्रकार का अतिरिक्त निमार्ण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

04- परिसर में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाए ।

05- परिसर में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण,सिस्टम अकार्य-ीाल दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक/स्वामी की होगी ।

अतः आख्या संस्तुति सहित अग्रसारित है ।

दिनॉकः , 2018

03.10.18

(के0के0मिश्र)
अग्निशमन अधिकारी
पी0जी0आई0
लखनऊ